कार्यालय जिला न्यायाधीश, पीलीभीत

संख्या 264/2020 दिनांक : जुलाई 29, 2020

आदेश

1. जिलाधिकारी, पीलीभीत के पत्रांक 806/न्याय सहायक/2020 दिनांकित 29.07.2020 के द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद न्यायालय, पीलीभीत में कार्यरत 03 कर्मचारीगण तथा दो अधिकारीगण की दिनांक 27.07.2020 को कोरोना परीक्षोपरान्त रिपोर्ट धनात्मक पायी गयी। कोविड–19 से संक्रमित 05 रोगियों के पाये जाने के कारण शासनादेश के अनुसार जजी कम्पाउण्ड, सिविल लाइन, पीलीभीत को केन्द्र मानते हुये शासनादेश सं0 1324/सेक–पांच–5–2020 चिकित्सा अनुभाग–5 दिनांक 23 जून, 2020 एवं शासनादेश सं0 1821/2020–सीएक्स–3 गृह (गोपन) अनुभाग–3 दिनांक 24.07.2020 में वर्णित प्राविधानों के क्रम में जजी कम्पाउण्ड, सिविल लाइन, पीलीभीत को कण्टेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। जिसमें सैनेटाइजेशन एवं एक्टिव केस सर्च की कार्यवाही की जायेगी, साथ ही कण्टेनमेंट जोन/क्षेत्र में जनसामान्य का बहार से अन्दर एवं अन्दर से बाहर आवागमन (अपरिहार्य कारणों के अतिरिक्त) अग्रिम आदेशों तक पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा।

2. माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 1117/LXXXVII&CPC/e-Courts/Allahabad/ Dated: 03.06.2020 के बिन्दु सं0 14 पर निम्नलिखित दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं :–

> 14- Wherever any District Court campus or Outlying Court campus is covered under the containment zone, such Courts shall remain closed as per the resolutions of Hon'ble Court dated 02.05.2020 read with the resolution of this Court dated 25.03.2020, till such time concerned District Court or Outlying court continues to remain to Containment Zone. Thereafter, the present scheme shall apply. Necessary reports in this regard, be obtained by the District Judges from the District Administration, on regular basis.

3. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में ही दिनांक 01.08.2020 का ईद उल जुहा का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जा चुका है। दिनांक 02.08.2020 को रविवार का सार्वजनिक अवकाश है एवं दिनांक 03.08.2020 को पूर्व में जिला न्यायालय, पीलीभीत में रक्षा बन्धन का स्थानीय अवकाश घोषित किया जा चुका है।

4. अतः जिलाधिकारी, पीलीभीत के उपरोक्त पत्रांक व माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुपालन में जिला न्यायालय परिसर, पीलीभीत कन्टेनमेंट जोन में घोषित किये जाने के कारण दिनांक 30.07.2020, दिनांक 31.07.2020 एवं दिनांक 04.08.2020 को जनपद न्यायालय बन्द किया जाता है। उपरोक्त तिथियों में बाह्य न्यायालय, बीसलपुर यथावत क्रियाशील रहेगा।

5. माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 1298/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated 28.07.2020 के अनुपालन में दिनांक 30.07.2020, दिनांक 31.07.2020 एवं दिनांक 04.08.2020 को जिला न्यायालय परिसर, बन्दी के दिवस (दिनांक 30.07.2020, 31.07.2020 एवं 04.08.2020) में सत्र न्यायालय, विशेष क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित न्यायालय, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज (प्रवर खण्ड), सिविल जज (अवर खण्ड) के पीठासीन अधिकारी माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त पत्र में निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार अपने आवास के कार्यालय से कार्य सम्पादित करेंगें। यदि उपरोक्त न्यायालय रिक्त हैं, तो रिक्त न्यायालयों का कार्य उनके प्रभारी द्वारा सम्पादित किया जावेगा।

6. श्री अभिषेक पाण्डेय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0–4/विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट), पीलीभीत एवं श्री सुनील कुमार–।।।, सिविल जज (प्रवर खण्ड), पीलीभीत के कोरोना पॉजिटिव होने के कारण उक्त न्यायालयों न्यायिक कार्य भी उक्त न्यायालयों के प्रभारी द्वारा सम्पादित किया जावेगा।

7. यह भी आदेशित किया जाता है कि दिनांक दिनांक 30.07.2020, दिनांक 31.07.2020 एवं दिनांक 04.08.2020 को नियत समस्त वादों में सामान्य तिथि नियत किया जाना सुनिश्चित किया जाये और इसकी

Scanned with CamScanner

सूचना कम्प्यूटर अनुभाग को दी जाये जो उसे न्यायालय की बेबसाइट पर अपलोड करे तथा एस.एम.एस. के माध्यम से अधिवक्ता तथा पक्षकारों को सूचित करे।

8. निर्णय/बहस/अति आवश्यक मामले अपवाद होंगें तथा उसमें नजदीक की तिथि आवश्यकतानुसार नियत की जाये, जिसकी सूचना भी उपरोक्तानुसार कम्प्यूटर अनुभाग तथा उनके स्तर से सम्बन्धित को प्रेषित की जायेगी।

9. प्रभारी अधिकारी नजारत, जिला न्यायालय, पीलीभीत को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 05.08.2020 को न्यायालय खोले जाने से पूर्व समस्त न्यायालय परिसर, न्यायालय कक्ष, विश्राम कक्ष, कार्यालय एवं बार परिसरों का सैनेटाइजेशन कराकर आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

10. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीलीभीत को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त अवकाश व न्यायालय बन्दी की अवधि में रिमाण्ड कार्य अवकाश के दिवसों की भांति करना सुनिश्चित करें।

11. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पीलीभीत को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त आदेश का दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन कराना एवं अन्य प्रकार से प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चितं करें।

12. नोडल अधिकारी कम्प्यूटर्स, जिला न्यायालय, पीलीभीत को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त आदेश जिला न्यायालय, पीलीभीत की बेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।

13. प्रशिक्षु अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त अवधि में ई–प्रशिक्षण अपने आवास से किया जाना सुनिश्चित करें।

14. समस्त सम्बन्धित सूचित हों। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को सूचना प्रेषित की जाये।

दिनांक : जुलाई 29, 2020

29/7/2020
(महताब अहमद),
जिला न्यायाधीश,
पीलीभीत
29.07.2020

पत्रांक /प्रशा0–2020 दिनांकित : जुलाई 29, 2020

1. जिलाधिकारी, पीलीभीत।
2. पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत।
3. जेल अधीक्षक, पीलीभीत।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, पीलीभीत।
5. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पीलीभीत।
6. समस्त बार एसोसियेशन, पीलीभीत।

दिनांक : जुलाई 29, 2020

29/7/2020
(महताब अहमद),
जिला न्यायाधीश,
पीलीभीत
29.07.2020

Scanned with CamScanner